न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—2020/00202

1. महेन्द्रसिंह पुत्र डूंगरसिंह,
2. नागेन्द्रसिंह पुत्र डूंगरसिंह,
3. भूपेन्द्र सिंह पुत्र डूंगरसिंह,
4. देवेन्द्र सिंह पुत्र डूंगरसिंह,
5. श्रवण सिंह पुत्र डूंगरसिंह,

समस्त जाति राजपूत, निवासी बांदनवाड़ा, तह0 भिनाय, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भिनाय, जिला अजमेर ।
2. रघुनाथ सिंह पुत्र चन्द्रसिंह (मृतक) जरिये वारिसानः—
   2/1— गुमानसिंह पुत्र रघुनाथ सिंह,
   2/2— नटवर सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह,
   2/3— भारतसिंह पुत्र रघुनाथ सिंह,
   2/4— शत्रुघन पुत्र रघुनाथ सिंह,
   समस्त जाति राजपूत, निवासी अमरगढ़, तह0 भिनाय, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, भिनाय दिनांक 13.6.2016 अंतर्गत वाद संख्या 57/2010.

उपस्थितः—

1. श्री कौशलसिंह, वकील अपीलांटस ।
2. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 1.
3. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील रेस्पो0 संख्या 2/1 से 2/4.

निर्णय

दिनांकः— 30.7.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, भिनाय के निर्णय व डिक्री दिनांक 13.6.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. वादीगण/अपीलांटस द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राज0काश्त0अधि0 के तहत प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि मौजा बांदनवाड़ा, तहसील भिनाय जिला अजमेर स्थित

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

आराजी जमांदी संवत् 2057 से 2060 के अनुसार ग्राम बान्दनवाड़ा में खसरा संख्य 2657 रकबा 0.38 है0 गै0मु0 आबादी भूमि स्थित है । उक्त भूमि का पुराना खसरा नंबर 2173 मिन है एवं जमाबंदी संवत् 2025 से 2028 के अनुसार ग्राम बान्दनवाड़ा में खसरा नंबर 1705 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी भूमि स्थित थी जो खाता संख्या नयी 310 पुरानी 308 के अनुसार माधु वल्द प्रताप कौम माली निवासी बान्दनवाड़ा की खातेदारी में दर्ज थी एवं उसी के कब्जे काश्त, उपयोग, उपभोग में चली आ रही थी । दिनांक 15.12.1965 को प्रतिवादी संख्या 2 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 2 बीघा 12 बिस्वा जमीन का विक्रय कर दिया एवं विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 2 के नाम तहरीर तकमील कराकर विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवा दिया । जो हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 को विक्रय किया गया था वह सार्वजनिक निर्माण विभाग की हद को छोड़कर पश्चिम से पूर्व भिनाय की सड़क पर उत्तर की तरफ चौड़ाई 25 गट्ठा तथा उत्तर से दक्षिण की तरफ विजयनगर की सड़क की तरफ लंबाई 40 गट्ठा थी । इसी प्रकार दक्षिण में चौड़ाई 26 गट्ठा व पूर्व में चौड़ाई 40 गट्ठा थी । माधु वल्द प्रताप माली ने दिनांक 12.7.1979 को विक्रय मूल्य 3000/—रू0 के बदले उक्त खसरा नंबर 1705 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा में से 2 बीघा 6 बिस्वा भूमि का बेचान वादीगण के पिता डूंगरसिंह पुत्र जवाहरसिंह जाति राजपूत निवासी बान्दनवाड़ा को कर दिया । डूंगरसिंह को बेची गई भूमि के पूर्व में सरकारी भूमि थी व पश्चिम में प्रतिवादी संख्या 1 को पूर्व में बेची गई भूमि स्थित थी । दिनांक 12.7.1979 को ही उक्त बैचान का विक्रय पत्र माधु ने क्रेता डूंगरसिंह के नाम तहरीर करवा कर कब्जा संभला दिया था । वादीगण के पिता का देहावसान होने के बाद उक्त भूमि पर वादीगण का निर्विवाद रूप से बतौर मालिक कब्जा काश्त चला आ रहा है लेकिन राजस्व रिकार्ड में फेरबदल के दौरान आधारहीन रूप से उक्त खसरा नंबर 2657 जो कि वादीगण के पिता द्वारा माधु माली से क्रयशुदा थी को प्रतिवादी संख्या 2 की खातेदारी में दर्ज कर दिया जिसे विलोपित करवाने एवं वादीगण का नाम बतौर खातेदार दर्ज करवाने बाबत् वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। अतः वाद वादीगण स्वीकार कर वादीगण को उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 2 का नाम विलोपित किए जाने के आदेश प्रदान करावे । पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार सन् 2016 में ग्राम बान्दनवाड़ा में पेश हुई जिस पर उभयपक्षकारान ने उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत कर कथन किया कि खाता संख्या 624 के खसरा नंबर 2657 रकबा 0.38 है0 में से 0.37 है0 भूमि वादीगण की खातेदारी में दर्ज कर दी जावे तो प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है तथा शेष इंद्राज बदस्तूर रखने बाबत् सहमति प्रकट करते हुए राजीनामा अनुसार निर्णय व डिक्री जारी करने का निवेदन किया लेकिन अधी0न्याया0 ने वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 2657 रकबा 0.38 है0 में से 0.37 है0 भूमि पर वादीगण का नाम बतौर सहखातेदार दर्ज करने के आदेश अंतर्गत अपील दिनांक 13.6.2016 को पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 के समक्ष स्वंय प्रतिवादीगण की और से राजीनामा प्रस्तुत कर कथन किया किया गया था वाद वर्णित आराजी खसरा नंबर 2657 रकबा 0.38 है0 में से 0.37 है0 वादीगण के हक में

खातेदारी दे दी जावे तो प्रतिवादी संख्या 2 व खातेदार को कोई आपत्ति नहीं है एवं बचा हुए एक हैक्टर रकबा एवं खसरा नंबर 2655 रकबा 0.41 है0 जो कि प्रतिवादी के स्वामित्व एवं खातेदारी में है, के समीप प्रतिवादीगण के हक व स्वामित्व में रखी जावे । इस हेतु दोनो पक्ष राजी है जिससे स्पष्ट है कि खसरा नंबर 2657 रकबा 0.38 है0 में से 0.37 है0 भूमि वादीगण/अपीलांटस के हक में रखने एवं शेष बचा रकबा 0.01 है0 प्रतिवादी संख्या 2 के हक में रखे जाने बाबत् राजीनामा प्रस्तुत किया गया था । अधी0न्याया0 को उक्त राजीनामे के अनुसार ही वादपत्र में आज्ञाप्ति जारी करनी चाहिये थी लेकिन अधी0न्याया0 ने उपरोक्त वर्णित 0.37 है0 भूमि मे वादीगण को बतौर सहखातेदार दर्ज करने का आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है । बहस में आगे कथन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलांटस की क्रयशुदा आराजी है जो बंदोबस्त विभाग द्वारा त्रुटिपूर्ण रूप से रेस्पो0 संख्या 2 के नाम दर्ज कर दी गई । उक्त दुरूस्ती पक्षकारान के मध्य हुए राजीनामे के अनुसार किया जाना वांछित था किन्तु अधी0न्याया0 ने राजीनामे विपरीत आदेश पारित करने मे त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्त किया जावे तथा वादीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जाकर उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजियात को विकसित करने के इरादे से ऋण लेने हेतु दिनांक 14.8.2020 को जमाबंदी की नकल प्राप्त की जिससे जानकारी हुई कि खसरा नंबर 2657 रकबा 0.38 है0 में से रकबा 0.37 है0 प्रार्थीगण की तन्हा खातेदारी में दर्ज करने के बजाय सह खातेदारी में दर्ज कर दिया है । तत्पश्चात् अधी0न्याया0 के समक्ष डिक्री में राजीनामे के अनुासर संशोधन करने हेतु निवेदन किया गया जो काफी दिनों तक कोरोना महामारी के कारण कोई जवाब नहीं दिया तत्पश्चात् दिनांक 7.10.2020 को सक्षम न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर दुरूस्ती करवाने हेतु सलाह दिये जाने निर्णय की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि विचारण न्यायालय का पारित निर्णय राजीनामे के आधार पर पारित किया गया है जो जाप्ता दीवानी के प्रावधान धारा 96 (3) जा0दी0 के विधिक प्रावधानों के विपरीत होने के कारण अपील पोषणीय नहीं है एवं विपक्षीगण को अधी0न्याया0 के समक्ष ही चाराजोही करनी चाहिये थी । माननीय न्यायालय के समक्ष अपील पोषणीय नही होने से इसी आधार पर खारिज की जावे ।

7. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 2/1 से 2/4 ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार अपील को निर्णित करने का कथन किया ।

8. हमनें विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम अपीलांटस को गुणावगुण पर सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

9. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया । वादीगण/अपीलांटस द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष मौजा बांदनवाड़ा, तहसील भिनाय जिला अजमेर स्थित आराजी जमांदी संवत् 2057 से 2060 के अनुसार ग्राम बान्दनवाड़ा में खसरा संख्य 2657 रकबा 0.38 है0 गै0मु0 आबादी भूमि स्थित है । उक्त भूमि का पुराना खसरा नंबर 2173 मिन है एवं जमाबंदी संवत् 2025 से 2028 के अनुसार ग्राम बान्दनवाड़ा में खसरा नंबर 1705 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी भूमि स्थित थी जो खाता संख्या नयी 310 पुरानी 308 के अनुसार माधु वल्द प्रताप कौम माली निवासी बान्दनवाड़ा की खातेदारी में दर्ज थी एवं उसी के कब्जे काश्त, उपयोग, उपभोग में चली आ रही थी । दिनांक 15.12.1965 को प्रतिवादी संख्या 2 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 2 बीघा 12 बिस्वा जमीन का विक्रय कर दिया एवं विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 2 के नाम तहरीर तकमील कराकर विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवा दिया । जो हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 को विक्रय किया गया था वह सार्वजनिक निर्माण विभाग की हद को छोड़कर पश्चिम से पूर्व भिनाय की सड़क पर उत्तर की तरफ चौड़ाई 25 गट्ठा तथा उत्तर से दक्षिण की तरफ विजयनगर की सड़क की तरफ लंबाई 40 गट्ठा थी । इसी प्रकार दक्षिण में चौड़ाई 26 गट्ठा व पूर्व में चौड़ाई 40 गट्ठा थी । माधु वल्द प्रताप माली ने दिनांक 12.7.1979 को विक्रय मूल्य 3000/—रू0 के बदले उक्त खसरा नंबर 1705 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा में से 2 बीघा 6 बिस्वा भूमि का बेचान वादीगण के पिता डूंगरसिंह पुत्र जवाहरसिंह जाति राजपूत निवासी बान्दनवाड़ा को कर दिया । डूंगरसिंह को बेची गई भूमि के पूर्व में सरकारी भूमि थी व पश्चिम में प्रतिवादी संख्या 1 को पूर्व में बेची गई भूमि स्थित थी । दिनांक 12.7.1979 को ही उक्त बैचान का विक्रय पत्र माधु ने क्रेता डूंगरसिंह के नाम तहरीर करवा कर कब्जा संभला दिया था। वादीगण के पिता का देहावसान होने के बाद उक्त भूमि पर वादीगण का निर्विवाद रूप से बतौर मालिक कब्जा काश्त चला आ रहा है लेकिन राजस्व रिकार्ड में फेरबदल के दौरान आधारहीन रूप से उक्त खसरा नंबर 2657 जो कि वादीगण के पिता द्वारा माधु माली से कयशुदा थी को प्रतिवादी संख्या 2 की खातेदारी में दर्ज कर दिया जिसे विलोपित करवाने एवं वादीगण का नाम बतौर खातेदार दर्ज करवाने बाबत् वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। अधी0न्याया0 के समक्ष वादीगण एवं प्रतिवादी रघुनाथसिंह ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया जिसमें अंकित किया कि वादवर्णित आराजी खसरा नंबर 2657 रकबा 0.38 है0 में से 0.37 है0 वादी के हक में खातेदारी में दे दी जावे तो प्रतिवादी संख्या 2 व खातेदार को कोई आपत्ति नहीं है एवं बचा हुआ खसरा संख्या 2655 रकबा 0.41 है0 जो कि प्रतिवादी के स्वामित्व एवं खातेदारी में है के समीप प्रतिवादी के हक व स्वामित्व में रखी जावे इस हेतु दोनों पक्ष राजी है । अधी0न्याया0 द्वारा वादीगण का वाद राजीनामे के अनुसार स्वीकार कर डिक्री किया है किन्तु अपने निर्णय में ग्राम बान्दनवाड़ा की जमाबंदी संवत् 2055 से 2067 के खाता संख्या 644 में खसरा नंबर 2657 रकबा 0.38 है0 में से 0.37 है0 भूमि पर वादीगण का नाम बतौर सहखातेदार दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये है जबकि अधी0न्याया0 को राजीनामे के अनुसार खसरा नंबर 2657 रकबा 0.38 है0 में से 0.37 है0 भूमि का वादीगण को तन्हा खातेदार काश्तकार घोषित करना चाहिये था । चूंकि अपीलांटस एवं रेस्पो0 संख्या 2 द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत राजीनामे अनुसार निर्णय किये जाने की सहमति प्रदान की है । अतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार योग्य होकर अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.6.2016 संशोधन योग्य पाया जाता है ।

10. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, भिनाय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.6.2016 में आंशिक संशोधन किया जाकर वादीगण/अपीलांटस को जमाबंदी संवत् 2055 से 2067 के खाता संख्या 644 में खसरा संख्या 2657 रकबा 0.38 है0 में से रकबा 0.37 है0 का तन्हा खातेदार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 30.7.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

डिगरी ब सीगे अपील

(ओ.41,रूल35 जाप्ता दिवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "G"-9)

अज अदालत : **राजस्व अपील प्राधिकारी, मुकाम अजमेर।**

ब इजलाशः– श्रीमती मेघना चौधरी, आर.ए.एस.

महेन्द्र सिंह पुत्र श्री डूंगर सिंह,जाति राजपूत,निवासी बांदनवाड़ा,तहसील भिनाय जिला अजमेर व अन्य ।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भिनाय जिला अजमेर व अन्य ।

– – –

अपील संख्या 202/2020 (2020/00202) ब नाराजगी डिक्री अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम भिनाय मुबर्खे 13 माह 06 सन् 2016, प्रकरण संख्या 57/2010,

दावा बाबत् : अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम.1955

यह अपील ब तारीख 30 माह 07 सन् 2021 रूबरू राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर ब हाजिरी श्री कौशल सिंह वकील मिनजानिब अपीलांटस, व श्री विकास पाराशर रेस्पोडेन्ट संख्या 01(राजकीय अभिभाषक), श्री अजीतसिंह राठौड वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 2/1 से 2/4 समायत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ हैं किः–**अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी, भिनाय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.06.2016 में आंशिक संशोधन किया जाकर वादीगण/अपीलांटस को जमाबंदी सम्वत 2055 से 2067 के खाता संख्या 644 में खसरा नम्बर 2657 रकबा 0.38 है. में से रकबा 0.37 है. का तन्हा खातेदार काश्तकारी घोषित किया जाता है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जैल तादादी मुबलिक––x––रूपयें––x–– अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का––x–– अदा करें।)

बस्बत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 30 माह 07.सन् 2021 को जारी किया गया।

मोहर (राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर)

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

खर्चा अपील

अपीलांट	रूपये पैसे	रेस्पोडेन्ट	रूपये पैसे
1.स्टाम्प अपील	–	1.स्टाम्प वकालतनामा	–
2.स्टाम्प वकालतनामा	–	2.स्टाम्प अर्जी	–
3.इजराय हुक्मनामा	–	3.इजराय हुक्मनामा	–
4.वकील फीस बाबत्	–	4.महनताना वकील	–
मीजान	–	मीजान	–

नोटः–इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे निगरानी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहियें।